

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक :-स्था/02/2020/2044

दिनांक :-19-12-2020

कार्यालय आदेश

01. प्रशासनिक कारणों से इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य निष्पादन बाबत आदेश निरस्त किये जाते हैं :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था।
01	राजेश कुमार मण्डावरिया आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय	ACMM (Rent)	ACD No. 01
02.	द्वारका प्रसाद नागर आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	Spl. MM (NI Act Cases) No. 01	ACMM No. 05
03.	अवधेश कुमार त्रिपाठी आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	ACJ & MM No. 14	ACJ & MM No. 08

02. प्रशासनिक कारणों से इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।	विशेष विवरण
01.	राजेश कुमार मण्डावरिया आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय	ACMM (Rent)	ACMM No. 04	रिक्त पद पर

03. जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम मूल न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है।	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है।
1.	विरेन्द्र कुमार जैन आशुलिपिक ग्रेड-प्रथम	Spl. Court, Sati Niwaran Cases	Spl. MM (NI Act Cases) No. 05
2.	राजेश कुमार मण्डावरिया आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय	ACMM No. 04	ACD No. 01
3.	चन्द्रप्रकाश पारीक आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय	ACMM No. 02	ADJ No. 05
4.	सूरज कुमावत आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	ACJ & MM No. 13	DJ Court
5.	संजय कुमार गुप्ता आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	ACJ & MM No. 07	ASJ, Women Atrocities Cases
6.	लोकेश जांगिड़ आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय	Spl. MM (NI Act Cases) No. 05	ADJ No. 09

नोट :-

जिन कर्मचारीगण का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया गया है, उनका वेतन मूल पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। संबंधित कर्मचारी कार्य निष्पादन करने हेतु नियत न्यायालय/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे एवं ऐसे कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश कार्य निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए कर्मचारीगण की उपस्थिति की सूचना वेतन आहरित किए जाने से पूर्व प्रत्येक माह मूल पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावेगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-द्वितीय
दिनांक - 19-12-2020

क्रमांक : 2044

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय
02 संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय
03 संबंधित कर्मचारी
04 निजी पत्रावली- संबंधित कर्मचारी श्री
05 आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-द्वितीय